Annexure -3 (Revised)

वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नामः – अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की वार्षिक मरम्मति।

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक के आधार पर):

Annual Maintenance Grants

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर):

Part---B---No-B3.2a

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकत्तम): – राज्य में सरकारी भवन में चल रहे 815 अतिरिक्त प्राथमिक स्वा0 केन्द्र के भवनों की मरम्मति प्रस्तावित हैं। स्वास्थ्य चेतना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के सरकारी भवनों में चल रहें अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या–627 एवं अन्य सरकारी भवनों में चल रहे केन्द्रों की संख्या–188 बतायी गयी है। इस प्रकार कुल 815 सरकारी भवनों की मरम्मति हेतु राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

आवश्यकतानुसार इन भवनों की मरम्मति इस प्राकर कराया जाना चाहिए ताकि भवन में सुधार हो तथा भवन देखने में अच्छा लगें। भवन में जहॉ भी कुछ क्षति दिखायी पड़े उसकी मरम्मति छत की मरम्मति, फ्लोर की मरम्मति, शौचालय, बरामदा, आदि की मरम्मति तथा रंगाई कराया जाना चाहिए। दरवाजा खिड़की की मरम्मति एवं इसका रंग–रोगन भी कराया जाना चाहिए।शौचालय की मरम्मति तथा जलापूर्ति हेतु चापाकल आदि की मरम्मति भी आवश्यकतानुसार कराया जाना चाहिए। जिलावार इनकी सूची 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तद्नुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संख्या में कमी या अधिकाई होने पर प्रस्ताव दिया जा सकता है।

इकाई राशि (रू० में) : – पचास हजार प्रति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

वित्तीय दिशा निर्देश : – यह कार्य रोगी कल्याण समिति द्वारा कराया जायेगा। इसके लिए किसी भी तकनिकी विभाग से प्राक्कलन तकनिकी स्वीकृति के साथ प्राप्त किया जाए तथायमानुसार इस कार्य को कराया जाए। सिविल सर्जन तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संबंधित प्राथमिक स्वा0 केन्द्र इसके लिए जवाब देह होगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक– 27187 दिनांक– 10.06.11 (ख) ...... (ग) ......

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नामः– श्री आर0 बी0 पी0 यादव, भ0प्र0से0 (से0नि0)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर : – 9470003009

4/7/11